



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.02.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 25,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 14.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर पर उसके साथ अभियुक्तगण 1. मनोज कश्यप पुत्र सुखबीर निवासी फतियाबाद निठौरा थाना लोनी गा0बाद 2. कुलदीप पुत्र स्व0 सतपाल निवासी जस्सी गढी थाना लोनी गा0बाद 3. कपिल पुत्र पप्पु 4. सुखवीर पुत्र राजे निवासीगण फतियाबाद निठौरा थाना लोनी गा0बाद 5. मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन निवासी फूस वाली मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद द्वारा धोखाधड़ी करके प्लॉट देने के नाम पर 9,20,000/- रूपये हड़प लेना तथा न ही प्लॉट देना तथा न ही पैसे वापस करना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर घटना पुरानी होने कारण थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 420/406/506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग में नामित/वांछित अभियुक्तगण 1. मनोज कश्यप 2. कुलदीप 3. कपिल 4. सुखवीर उपरोक्त को दिनांक 16.01.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आज दिनांक 03.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 25,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन उर्फ नसीबुद्दीन निवासी फूस वाली, हसीन मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष को खडखडी रोड के पास घिटोरा मोड से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने अपने साथी 1. मनोज कश्यप 2. कुलदीप 3. कपिल 4. सुखवीर के साथ मिलकर गुलफाम पुत्र शिबबे अली से प्लॉट देने के नाम पर 9,20,000/- रूपये ले लिये थे तथा गुलफाम को प्लॉट का बैनामा नहीं किया तथा न ही पैसे वापस दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अभियुक्त मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन उर्फ नसीबुद्दीन निवासी फूस वाली, हसीन मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व नाबालिग अपहृता सकुशल बरामद ।

दिनांक 30.01.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष दिनांक 28/29.01.2025 की रात्रि को अपने घर से कही चली गयी है जो अभी तक वापस घर नहीं आयी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.02.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त वंश पुत्र सुरेन्द्र नि0 मोहनपुर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना सिहानीगेट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । बरामद पीड़िता का उक्त मुकदमे में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी ।

बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1)/87 बीएनएस व धारा 5L /6 पॉक्सो की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीड़िता को करीब 02 माह से जानता हूँ मेरी पीड़िता से बात स्नैप चैट के माध्यम से हुई थी। हमारी बातचीत होती रही। दिनांक 28/29/01/2025 की रात को 12 बजे ब्लूम वर्ल्ड पब्लिक स्कूल मथुरापुर में आया वहाँ पर मैंने पीड़िता को बुला लिया फिर वहाँ से पीड़िता को बहलाकर मैं वृदावन चला गया फिर मैंने वहाँ वृदावन में एक होटल में कमरा लिया। फिर वहाँ हम दोनों दिनांक 29/01/2025 को रुके वहाँ पर मैंने पीड़िता की मांग भरी और फिर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे फिर वहाँ से हम वृदावन में ही अन्य होटल में रुके वहाँ पर हम दिनांक 30/1/2025 व 31/01/2025 को रुके। वहाँ पर भी मैंने पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे फिर वहाँ से हम अपने मामा के पास गाजियाबाद आ गये लेकिन जब मैं अपने मामा के घर पर पीड़िता को लेकर पहुँचा तो मेरे मामा ने 112 पुलिस को फोन कर दिया वहाँ से हमें पुलिस थाना सिहानी गेट गाजियाबाद ले गई व फिर थाना मुरादनगर को सूचना दे दी गई। यही मेरा बयान है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

वंश पुत्र सुरेन्द्र निवासी मोहनपुर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चाँदी का सिक्का बरामद।

दिनांक 10.01.24 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान से करीब 150 से 200 ग्राम सोने का सामान तथा चाँदी के वर्तन व मूर्ति आदि चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 380 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 31.01.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. परमजीत पारदी उर्फ कुत्ती पुत्र अजीत पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 18 वर्ष 2. धनीराम पारदी पुत्र सेतुराम पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष 3. गुमान पारदी पुत्र बालू पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 55 वर्ष 4. बलदीप पारदी पुत्र गुमान पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 18 वर्ष 5. आशिक पारदी पुत्र विनोद पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष 6. विनोद पारदी पुत्र जानकी पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 52 वर्ष 7. लंगडी पुत्र मनोहर निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 27 वर्ष 8. दौलत राम यादव पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम डुमावन थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 45 वर्ष 9- परशुराम पारदी पुत्र सेतुराम पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष तथा 10- धर्मोद पारदी पुत्र खन्डेल पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 22 वर्ष को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा दिनांक 02.05.24 को एसटीएफ नोएडा द्वारा अभि0 कोहिनूर पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम कनेरा थाना झागर जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष तथा दिनांक 16.06.24 को नामे उर्फ नामेश्वर पुत्र रुस्तम ग्राम बिलाखेडी जनपद उज्जैन मध्यप्रदेश उम्र 26 वर्ष 2. सुरेन्द्र पुत्र रज्जू नि0 रेल पटरी चिमनगंज क्षेत्र उज्जैन उम्र 43 वर्ष को तथा दिनांक 30.09.24 को 1. खलनायक पारदी पुत्र बादल पारदी निवासी ग्राम छोटी कनेरी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 24 वर्ष 2. भगत पारदी पुत्र रुस्तम पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 21 वर्ष (पुलिस मुठभेड के दौरान) 3. राहुल पारदी पुत्र गुमान पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 22 वर्ष 4. विनोद पारदी पुत्र जानकी पारदी निवासी ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 55

वर्ष को तथा 13.11.24 को अभि० बलराम उर्फ बल्लू उर्फ खलूडा पुत्र रामरतन नि० ग्राम बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्यप्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष को एसटीएफ नोएडा द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 02.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम व एसटीएफ नोएडा द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभि० सूरज पारदी पुत्र कैलाश पारदी निवासी धौराफाटक, ग्राम सेवडा थाना सुभाषपुरा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 30 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से पूर्व में चोरी किये गये माल से एक चाँदी का सिक्का बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया मैंने अपने साथियों के साथ करीब 01 वर्ष पूर्व ग्राम बेहटा मे सुनार की दुकान से चोरी की थी, जिसमे मेरे कुछ साथी जेल भी जा चुके हैं। आज मैं इस क्षेत्र मे चोरी करने के लिये दुकान की रेकी करने आया था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पारदी पुत्र कैलाश पारदी निवासी धौराफाटक, ग्राम सेवडा थाना सुभाषपुरा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना फगवाडा पंजाब में चोरी के सम्बन्ध में 01 मुकदमा तथा उपरोक्त घटना व बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चाँदी का एक सिक्का बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम, एसटीएफ गौतमबुद्ध नगर टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 02.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त शाकिर पुत्र मौ० सलीम निवासी शंकर गली 2208/9 सिताराम बाजार 84 घंटा तुर्कमान गेट दिल्ली 06 उम्र करीब 26 वर्ष को सैक्टर 2/5 की पुलिसिया के पास वैशाली थाना कौशांबी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर पुत्र मौ० सलीम के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर पुत्र मौ० सलीम निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त शाकिर से बरामद स्कूटी को कुछ दिन पहले लक्ष्मी नगर दिल्ली से चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में इधर-उधर घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. शाकिर पुत्र मौ० सलीम निवासी शंकर गली 2208/9 सिताराम बाजार 84 घंटा तुर्कमान गेट दिल्ली 06 उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर पुत्र मौ० सलीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कमला मार्किट सेन्ट्रल दिल्ली में छीना- झपटी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्रान्तर्गत सवारी को आटो में बैठाकर चाकू का भय दिखाकर सवारी से फोन, पैसे, बैग, पर्स, ATM, Adhar, PAN Card, Voter Id Card छीनने की घटना का सफल अनावरण। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त घायल सहित कुल दो अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक चाकू, एक लूट का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।

घटना / कार्यवाही का विवरण - विगत दिनों थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्रान्तर्गत दो बदमाशों द्वारा दिनांक 30.01.2025 को मेरठ गाजियाबाद रोड पिलर नं0 685 के पास ऑटो चालक एवं उसके साथी द्वारा बैठी सवारी से चाकू का डर दिखाकर फोन, पैसे, बैग, पर्स, ATM, Adhar, PAN Card Voter Id Card छीनने की घटना कारित की गयी थी। आज दिनांक 03.02.2025 को दौराने रूटीन चेकिंग जीडीए चौराहे पर की जा रही थी। सामने से ऑटो आता हुआ दिखायी दिया रोकने के इशारे पर ऑटो चालक व उसका साथी ऑटो लेकर भागने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो सामने रोड पर डेड लाईन आने पर ऑटो में बैठे दो व्यक्तियों ने ऑटो से तेजी से उतर कर खेतों की तरफ भागने लगे व भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की व लगातार फायरिंग करने लगे आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा अपने सरकारी असलाह से बदमाश के पैरों की तरफ एक फायर किया गया जिससे एक बदमाश वही भूमि पर गिर गया तथा भाग रहे दूसरे बदमाश को करीब 50 कदम दूर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया, घायल बदमाश से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अमित उर्फ बेस टू पुत्र आशाराम निवासी डी व्लाक आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष मूल निवासी गांव दोदलपुर थाना सकीर जिला एटा बताया। तथा दूसरे ने अपना नाम अंकित उर्फ अभिषेक उर्फ बैकर पुत्र दिलीप सिंह निवासी 647, ई ब्लॉक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम उम्र 25 वर्ष बताया। अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक चाकू, एक लूट का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण एवं अग्रिम कार्यवाही का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि हम नशे की लत के कारण इस प्रकार की घटना को कारित करते हैं हम दोनो इस ऑटो में जो कि हमने पुराना सेकंड हेन्ड किस्तो पर खरीदा था हम लोग आधी रात के बाद निकलते हैं तथा रात में दूर जाने वाली सवारियों को सस्ते किराये का लालच देकर बैठा लेते हैं तथा सुनसान इलाके में ले जाकर लूट कर सवारी को वहीं पर छोड़ देते हैं तथा साहब लूट के माल को बाजार में बेचकर हम लूट के माल व पैसो को हम आपस में बांट लेते हैं

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता-

1. अमित उर्फ बेस टू पुत्र आशाराम निवासी डी व्लाक आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष मूल निवासी गांव दोदलपुर थाना सकीर जिला एटा

2. अंकित उर्फ अभिषेक उर्फ बैकर पुत्र दिलीप सिंह निवासी 647, ई ब्लॉक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम उम्र 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित उर्फ बेस टू

अभियुक्त उर्फ बेस टू उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम में 02 मुकदमे चोरी के, थाना सिहानीगेट पर 04 मुकदमें चोरी के 01 मुकदमा आयुद्ध अधि0 का थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा लूट, 01 मुकदमा पुलिस मुठभेड़ का कुल 09 मुकदमे दर्ज है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित उर्फ अभिषेक उर्फ बैकर

थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा लूट, 01 मुकदमा पुलिस मुठभेड़ का कुल 02 मुकदमे पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

1 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 चाकू, 01 लूट का मोबाइल, 1 घटना में प्रयुक्त आटो

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 590 ग्राम अवैध गाँजा बरामद
घटना एवं कार्यवाही का विवरण- दिनांक 03.02.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान रहीशपुर से केन्द्रीय विद्यालय रोड के पास एक अभियुक्त सोनू पाल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम मथुरिया थाना कुंज जिला बेगुसराय बिहार हाल निवासी गुलधर रेलवे स्टेशन के पीछे झुग्गी झोपडी थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 किलो 590 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण – गिरफ्तार किये हुए अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं यह गाँजा दिल्ली से खरीद कर लाता हूँ उसके बाद गाँजे की प्लास्टिक की छोटी-छोटी पन्नियों में पुडिया बनाकर पर कालेज तथा विद्यालयों के आस पास जाकर युवा पीढी तथा किशोर अवस्था के छात्रों तथा लोगों को महँगे दामों में बेच देता हूँ इससे मुझे मोटा मुनाफा होता है। प्राप्त धन से मैं अपने महँगे शोक व खर्चों की पूर्ति करता हूँ हर बार की भाँति इस बार भी मैं कालेज तथा विद्यालयों के आस-पास ये पुडिया बेचने जा रहा था।

नाम पता अभियुक्त –

सोनू पाल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम मथुरिया थाना कुंज जिला बेगुसराय बिहार हाल निवासी गुलधर रेलवे स्टेशन के पीछे झुग्गी झोपडी थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 590 ग्राम गाँजा

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-दिनांक 03.02.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त सादिक पुत्र नासिर निवासी दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

सादिक पुत्र नासिर निवासी दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

अभियुक्त शादिक पुत्र नासिर उपरोक्त पर कमिश्नेट गौतमबुद्धनगर में 01 मुकदमा अवैध फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का, थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा अवैध फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का तथा 01 मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट का कुल 03 मुकदमे दर्ज है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अलग अलग नाम की मोहरें व 10 बोरी चावल मार्का Skystar PREMIUM QUALITY NO.1 RICE 100% SORTEX CLEAN PARMAL SELLA RICE व एक कार बरामद।

दिनांक 20-7-24 में श्री संजीव बालम निवासी डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्र0लि0 खसरा नं0 1146/1 सदीक नगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि अभि0गण द्वारा मेरी कम्पनी से पहले 91,10,526/- का चावल खरीदकर 39,53,250/- रुपये का भुगतान करते हुये बकाया धनराशि 51,57,276/- रुपये की धोखाधडी कर ली है, फिर अपने दोस्त की कम्पनी को 84,36,840 का चावल खरीदकर 21,31,756/- रुपये का भुगतान करते हुये बकाया धनराशि 63,05,084/- रुपये की धोखाधडी करने के संबंध में थाने पर सूचना दी गयी उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 03/02/25 को मुखबिर की सूचना पर रोटरी गोलचक्कर के पास से घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 03 अलग अलग नाम की मोहरें व 10 बोरी चावल मार्का Skystar PREMIUM QUALITY NO.1 RICE 100% SORTEX CLEAN PARMAL SELLA RICE व एक कार बरामद किये गये। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता –

आमिर रजा खान उर्फ कबीर विकटर पुत्र शमशुल हसन खान निवासी – ग्राम रसियाखान पुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत हाल निवासी- भाटी का मकान गली नं0 2 लेबर चौक के पास मोहल्ला दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र लगभग 34 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आमिर रजा खान उर्फ कबीर विकटर उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर 02 अभियोग धोखाधडी के पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त कबीर विकटर उर्फ आमिर रजा खान पुत्र शमशुल हसन खान उपरोक्त ने बताया कि मैने तथा मेरे साथी विमल बेन्सर विकटर ,सोनू तथा ऋषभ गुप्ता ने धोखाधडी कर विमल बेन्सन विकटर के नाम से जीएसटी व फर्म खोलकर गाजियाबाद की दो होल सेल चावल विक्रेताओं से चावल खरीदा था। तथा पूरे पैसे दिये बिना उनके चावल का गबन कर लिया है। तथा मुझसे बरामद ये मोहरें हमने इसी धोखाधडी में होलसेल चावल विक्रेताओं को धोखा देने की नियत से प्रयोग की थी। यह मुझसे बरामद चावल के कट्टे वही हैं।

बरामदगी का विवरण-

- 1 03 अलग अलग नाम की मोहरें
- 2 10 बोरी चावल मार्का Skystar PREMIUM QUALITY NO.1 RICE 100% SORTEX CLEAN PARMAL SELLA RICE
- 3 एक कार SUZIKI SX4 REG NO- DL 9 CW 9160

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।